राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 4955/2005

राज्य और अन्य---- याचिकाकर्ता।

बनाम

राजेंद्र कुमार और अन्य--- उत्तरदाता।

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः- श्री सरवन कुमार

प्रतिवादी (ओं) के लिए:- श्री राकेश अरोड़ा के लिए श्री नरेश सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

10/01/2024

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ श्रम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.09.2002 (अनुलग्नक 6) के आदेश को निरस्त करने के लिए एक उपयुक्त रिट जारी करने की मांग की है और आगे की प्रार्थना श्रम न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने की है, जिसमें एकपक्षीय निर्णय को वापस लेने और प्रतिवादी संख्या 1 से 13 द्वारा दायर दावा याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने की मांग की गई है।

2. दायर की गई याचिका का मामला निम्नवत है-

2.1 राज्य सरकार ने दिनांक 22.07.1996 की अधिसूचना के माध्यम से श्रम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश (प्रतिवादी संख्या 14) को इस बारे में निर्देश दिया कि क्या राजेंद्र कुमार और 18 अन्य

श्रमिकों को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वेतनमान का लाभ न देना उचित और न्यायोचित है। यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार थे?

2.2 इस संदर्भ पर, प्रतिवादी श्रमिकों ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वेतनमान के लाभ का दावा करते हुए प्रतिवादी संख्या 14 के समक्ष एक दावा याचिका दायर की। याचिकाकर्ता/विभाग श्रम न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ एक आदेश दिनांक 11.12.1998 द्वारा एकतरफा कार्यवाही शुरू की गई।

2.3 विद्वान श्रम न्यायालय ने दिनांक 20.12.1999 के एक एकतरफा निर्णय के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर दावा याचिका को मंजूरी दी और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 13 को नियमित वेतनमान देने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जो एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1819/2001 थी, जिसे इस न्यायालय ने एक आदेश दिनांक 15.05.2001 के माध्यम से खारिज कर दिया, जिसमें एकतरफा निर्णय को वापस लेने के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी।

2.4 परिणामस्वरुप, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 22.12.1999 के एकतरफा निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा के कार्यालयों को विभाजित किया गया था, जिला शिक्षा अधिकारी, बालक और बालिका के पदों को समाप्त कर दिया गया था और जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के

नए पदों का सृजन किया गया था। इन परिस्थितियों में, मामले को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति नहीं की जा सकी। यह भी कहा गया कि दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

2.5. विद्वान श्रम न्यायालय ने अपने दिनांकित 03.09.2002 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

3. श्रमिकों/प्रतिवादियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह बचाव किया गया है कि रिट याचिका देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। रिट याचिका दिनांक 03.09.2002 के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जो 2005 की अंतिम तिमाही में किसी समय जारी किया गया था, यानी लगभग तीन साल की अवधि के बाद, रिट याचिका में इस देरी के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

3.2 रिट याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होती है, क्योंकि इसे दाखिल करने की आड़ में, उत्तरदाताओं/श्रमिकों को विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना करते हुए उनका वेतन आदि नहीं दिया गया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने श्रमिकों के दावे के गुण-दोष के साथ-साथ आवेदन रीकॉलिंग को खारिज करने पर प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

5. इस विलंबित चरण में मामले को वापस लेने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यदि एकपक्षीय निर्णय को वापस लेने

के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए, हम गुण-दोष के आधार पर श्रमिकों के दावे की जांच करते हैं। मेरा विचार है कि श्रमिकों/उत्तरदाताओं के दावे की सीमा तक कि वे सभी अनुमेय भत्तों के साथ-साथ अन्य सेवा लाभों के साथ बकाया के भुगतान के हकदार हैं, उन्हें उनकी संबंधित तिथियों से प्रदान किया जाना चाहिए। उक्त लाभों की स्वीकार्यता पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि यह कानून में स्थापित स्थिति के अनुसार है।

6. हालांकि, नियमितीकरण की तिथि से पहले याचिकाकर्ताओं को दिए जाने वाले लाभों के संबंध में, वे नियमित कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। साथ ही, नियमितीकरण से पहले, वे निश्चित रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक समय पर स्वीकार्य नियमित वेतनमान के न्यूनतम के हकदार हैं, साथ ही महंगाई भत्ते और उसके अनुसार अन्य भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि को छोड़कर, जो केवल नियमित कर्मचारियों को देय हैं।

7. कुछ हद तक, जैसा कि पूर्वोक्त है, आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया जाता है, और रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त के अनुसार बकाया राशि की गणना और भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान भी लागू सेवा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।